अपीलीय अधिकारी एवं संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश
चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल — 462004 (म.प्र.)

क्र. सूअप्र / संतशि / 10 /
भोपाल दिनांक

1. श्री रमेशचंद्र दुबे,
5, गोविंद नगर, कालिका माता मंदिर के पीछे,
झाबुआ — म.प्र.,

रजिस्टर्ड डाक से

आवेदक / अपीलार्थी

विरूद्ध

2. लोक सूचना अधिकारी
शासकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालय,
झाबुआ — म.प्र.

रजिस्टर्ड डाक से

अनावेदक / प्रतिअपीलार्थी

आवेदक / अपीलार्थी उपस्थित ।
अनावेदक / प्रतिअपीलार्थी (प्राचार्य / लोक सूचना अधिकारी, पोली. महा. झाबुआ) उपस्थित।

1. प्रथम अपील आवेदन क्र. 1 पर सुनवाई निर्णय दिनांक 06.08.2010

1. आवेदक / अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन क्र. 1 दिनांक 02.06.2010 का अवलोकन किया गया। समक्ष में प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक / अपीलार्थी द्वारा 2 बिंदुओं पर जानकारी चाही थी। बिंदु क्र. 1 की जानकारी आवेदक को उपलब्ध करा दी गई है, जिसकी स्वीकारोक्ति आवेदक / अपीलार्थी द्वारा दी गई है।

2. समक्ष में प्रस्तुत बिंदु क्र. 2 के संबंध में कोई पत्र या आदेश उपलब्ध नहीं होने के कारण आवेदक / अपीलार्थी को प्राचार्य / लोक सूचना अधिकारी ने पत्र क्र. / सू.अधि. / 10 / 283 दिनांक 07.05.2010 द्वारा अवलोकन हेतु बुलाया एवं आवेदक द्वारा संपूर्ण दस्तावेजों का अवलोकन कर इस बात की पुष्टि की कि यह जानकारी संस्था के दस्तावेजों में उपलब्ध नहीं है। अतः आवेदक / अपीलार्थी द्वारा चाहा गया आदेश आज दिनांक तक शासन द्वारा जारी नहीं किया गया हैं।

2. प्रथम अपील आवेदन क्र. 2 पर सुनवाई निर्णय दिनांक 06.08.2010

1. आवेदक / अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन क्र. 2 कार्यालय में प्राप्ति दिनांक 14.07.2010 का अवलोकन किया गया। बिंदु क्र. 1 के संबंध में जानकारी संस्था अभिलेखों में उपलब्ध न होने की वजह से प्रदान नहीं की गई ।

2. बिंदु क्र. 2 में श्री वर्दे से संबंधित चाही गई जानकारी के संबंध में प्राचार्य / लोक सूचना अधिकारी द्वारा बताया गया कि श्री वर्दे ने प्लाट क्रय करने हेतु कोई अग्रिम अंतिम अंश नहीं लिया है।

निरंतर..........2 / —

3. उपरोक्त दोनों प्रथम अपील आवेदनों के संबंध में प्राचार्य/लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में आवेदक/अपीलार्थी द्वारा सभी बिंदुओं पर सुस्पष्ट जानकारी दें एवं प्राचार्य/लोक सूचना अधिकारी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि जो जानकारी उपलब्ध न हो तो, जानकारी उपलब्ध न होने की सूचना आवेदक को लिखित में दी जावे।

4. उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में आवेदक द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलों का आवेदक/अपीलार्थी एवं अनावेदक/प्रतिअपीलार्थी की उपस्थिति में निराकरण किया गया।

5. उपरोक्तानुसार अपील की सुनवाई के संबंध में की गई कार्यवाही से अवगत होते हुए असंतुष्ट होने की स्थिति में अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समयावधि में निम्नानुसार अपीलार्थी द्वारा अपील की जा सकती है।

द्वितीय अपील	समय–सीमा
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयोग, निर्वाचन भवन, द्वितीय मंजिल, 58, अरेरा हिल्स, भोपाल – 462011 (मध्यप्रदेश)	विनिश्चय की प्राप्ति के 90 दिनों के भीतर

(आशीष डोंगरे)
संचालक एवं अपीलीय अधिकारी
तकनीकी शिक्षा संचालनालय, म.प्र.
भोपाल – मध्यप्रदेश
भोपाल दिनांक 7/8/10

पृष्ठा. क्र. सूअप्र/संतशि/10/431
प्रतिलिपि :–

1. मान. मुख्य सूचना आयुक्त, म.प्र. राज्य सूचना आयोग, 58, निर्वाचन भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल – म.प्र.
2. वरिष्ठ निज सहायक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, म.प्र., भोपाल ।
3. कम्प्यूटर शाखा, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, म.प्र. भोपाल।

(आशीष डोंगरे)
संचालक एवं अपीलीय अधिकारी
तकनीकी शिक्षा संचालनालय, म.प्र.
भोपाल – मध्यप्रदेश